

यह छात्रावास शपथ पत्र कम से कम 20 रुपये के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर मुद्रित किया जाना चाहिए और नोटरी पब्लिक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

UIT-RGPV भोपाल से जुड़े छात्रावास के नियमों और विनियमों के अनुपालन के संबंध में माता-पिता और छात्र द्वारा संयुक्त हलफनामा |

इस शपथ पत्र पर _____ के माता-पिता/अभिभावक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं, _____ (इंस्टीट्यूट नाम) का एक छात्र, _____ (कार्यक्रम) में 20__ - 20__ के दौरान पढ़ रहा है, जो UIT&RGPV भोपाल से जुड़े _____ छात्रावास नाम _____ में प्रवेश की मांग कर रहा है। इसके बाद बताया गए मामलों से संबंधित नियमों और विनियमों को पढ़ और पूरी तरह से समझा, इसके द्वारा यूआईटी-आरजीपीवी के नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए सहमत हैं और उनका अपरिवर्तनीय रूप से पालन करते हैं:

माता-पिता के लिए

- 1 मेरे बेटे/बेटी की प्रवेश प्रक्रिया के दौरान, एक अभिभावक के रूप में, मुझे यूआईटी-आरजीपीवी भोपाल में मेरे बेटे/बेटी के अनुशासन और आचरण के नियमों के बारे में पहले ही समझाया जा चुका है, और मैंने इसे पूरी तरह से समझा है। मुझे आचार संहिता, परिसर में उपस्थिति, समय की पाबंदी, व्यवहार से संबंधित नियम, विशेष रूप से छात्रावास परिसर में भी समझाया गया है और मैं इसे समझता हूँ।
- 2 एक अभिभावक के रूप में, मैं एतद्वारा अधिसूचित नियत तारीख से पहले छात्रावास की बकाया राशि का भुगतान करने का वचन देता हूँ। मुझे पता है कि मेरा बेटा/बेटी बिना किसी पूर्व सूचना के छात्रावास की बकाया राशि का भुगतान न करने और टूटने या क्षति आदि के लिए अन्य शुल्क के लिए छात्रावास से बाहर भेजे जाने के लिए उत्तरदायी है।
- 3 माता-पिता के रूप में, मैं पूरी तरह से समझता हूँ और सहमत हूँ कि मेरा बेटा/बेटी अकादमिक/गैर-शैक्षणिक सत्रों में भाग लेने के बाद संबंधित छात्रावासों में वापस आ जाएगा, जिसमें शैक्षणिक ब्लॉकों में पुस्तकालय कार्य, प्रयोगशाला प्रायोगिक आदि शामिल हैं और छात्रावास के कमरों में रहेंगे। उसे प्रतिदिन रात 10:00 बजे से पहले आवंटित किया जाता है।
- 4 माता-पिता के रूप में मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि यदि मेरे बेटे/बेटी को छात्रावास में भर्ती कराया जाता है, तो वह छात्रावास के वार्डन या पर्यवेक्षी कर्मचारी के बीच अनुशासन की निगरानी के लिए अपने दैनिक दिनचर्या के चक्कर लगाने पर उन्हें आवंटित संबंधित कमरे में रहेंगे और रहेंगे। रहने वाले। इस संबंध में किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।
5. मैं आगे सहमत हूँ कि मेरा बेटा/बेटी आवंटित कमरे में ही रहेगा और वह पूर्व अनुमति के बिना कमरे को नहीं बदलेगा या अन्य निवासियों को आवंटित किसी अन्य कमरे पर कब्जा

नहीं करेगा इस नियम के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और छात्रावास से निष्कासन भी हो सकता है।

6. माता-पिता के रूप में मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि संस्थान में प्रवेश के बाद मेरे बेटे/बेटी के विश्वविद्यालय से जुड़े छात्रावास में ही रहने की उम्मीद है। हालाँकि, यदि किसी वैध कारण से, छात्रावास में प्रवेश के बाद या शैक्षणिक वर्ष के मध्य के दौरान, यदि माता-पिता अपने बेटे / बेटी के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ परिसर के बाहर रहने के लिए अपने जोखिम पर, अपना आवासीय आवास बनाना चाहते हैं। उन्हें एक लिखित अनुरोध के साथ छात्रावास के वार्डन से संपर्क करना चाहिए और ऐसा करने के लिए लिखित में वार्डन से विशेष अनुमति लेनी चाहिए।
7. माता-पिता के रूप में, मैं समझता हूँ कि यदि मेरा बच्चा अनुपस्थिति की छुट्टी के बिना लगातार तीन दिनों या उससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, तो मैं इसके कारणों और अनुपस्थिति के लिए परिस्थितियाँ को समझाने के लिए संबंधित विभाग के वार्डन/संबंधित विभाग के प्रमुख/निदेशक/प्रिंसिपल से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए सहमत हूँ।
8. माता-पिता के रूप में, मैं समझता हूँ कि मेरे बेट/बेटी को विश्वविद्यालय परिसर के भीतर शिक्षा के विभिन्न केंद्रों के बीच आने-जाने के लिए परिसर के अंदर केवल साइकिल / Electric Vehicle का उपयोग करने की अनुमति है।
9. माता-पिता के रूप में, मैं समझता हूँ कि यदि मेरा बेटा/बेटी किसी भी प्रकार के मोटर वाहन का उपयोग करता है, तो उसके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी के लिए पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी।
10. एक अभिभावक के रूप में, मैं छात्रावास में अपने बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन, आचरण, व्यवहार या अन्य गतिविधियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए समय-समय पर अपने बच्चे के कल्याण के बारे में पूछताछ करने की माता-पिता की जिम्मेदारी को समझता हूँ और सहमत हूँ।
11. एक अभिभावक के रूप में मैं छात्रावास/विश्वविद्यालय के किसी भी नियम, विनियम और प्रथाओं के प्रवर्तन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं एतद्वारा सहमत हूँ कि यहां उल्लिखित नियमों और विनियमों के गंभीर उल्लंघन के मामले में मेरे बेट/बेटी को छात्रावास/विश्वविद्यालय से सरसरी तौर पर निलंबित/निष्कासित किया जा सकता है। एक अभिभावक और छात्र के रूप में मेरे द्वारा किया गया यह वचन अंतिम और अपरिवर्तनीय है।
12. माता-पिता के रूप में, मैं अपने बेट/बेटी के व्यवहार की बारीकी से निगरानी करूंगा और यदि कोई बदलाव देखा जाता है तो छात्रावास के अधिकारियों को सूचित कर दूंगा।
13. माता-पिता के रूप में, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर/पता) को परिवर्तन किए जाते ही तुरंत अपडेट कर दूंगा।

छात्रों के लिए

14. एक छात्र के रूप में, मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि विश्वविद्यालय से जुड़ा छात्रावास छात्रों को छात्रावास में उनके शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आरामदायक, सुरक्षित और अनुकूल बनाने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, छात्रावास के निवासी के रूप में, मैं ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होऊंगा जो छात्रावास के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब कर सकती हैं। मैं इस सख्त नियम से अवगत हूँ कि मेरे कार्यों, शब्दों से तेज संगीत बजाना, नृत्य करना या आपत्तिजनक परिदृश्य बनाना या सह-छात्रों को परेशान करने के लिए अभद्रता के स्तर तक जोर से शोर करना सख्त वर्जित है।
15. एक छात्र के रूप में, मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि 'छात्रावास में प्रवेश मेरा अधिकार नहीं है, बल्कि मेरे लिए दी गयी सुविधा है', ताकि परिसर में मेरे शांतिपूर्ण अध्ययन को सुगम बनाया जा सके, बशर्ते कि मैं छात्रावास के नियमों और विनियमों का पालन करूँ।
16. एक छात्र के रूप में, मैं सहमत हूँ और केवल मुझे आवंटित कमरे में निवास करने का वचन देता हूँ।
17. एक छात्र के रूप में मुझे इस नियम की जानकारी है कि जब वार्डन या अन्य पर्यवेक्षी कर्मचारी अनुशासन लागू करने और संचालन की निगरानी के लिए छात्रावास में जाते हैं या चक्कर लगाते हैं तो मुझे 10:00 बजे के बाद संबंधित छात्रावास के आवंटित कमरे में उपलब्ध होना चाहिए।
18. छात्रावास के निवासी के रूप में, मैं गैर-शैक्षणिक गतिविधियों जैसे लाभ के लिए बहु-स्तरीय विपणन, मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक और संचार उपकरणों का उपयोग करके/किसी भी रूप में जुए में शामिल नहीं होऊंगा।
19. एक छात्र के रूप में मैं इस नियम को पूरी तरह से समझता हूँ कि छात्रावास परिसर में शराब / किसी भी पदार्थ / शराब का सेवन सख्त वर्जित है और मेरी ओर से इस नियम का किसी भी उल्लंघन पर छात्रावास / विश्वविद्यालय से निष्कासन होगा।
20. एक छात्र के रूप में, मैं समझता हूँ कि मुझे विश्वविद्यालय परिसर के भीतर आने-जाने के लिए परिसर के अंदर केवल साइकिल / Electric Vehicle का उपयोग करने की अनुमति है।
21. छात्रावास में प्रवेश पाने के इच्छुक एक छात्र के रूप में, मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ कि मैं हमेशा संस्थान की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखता हूँ और मैं प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे संस्थान की प्रतिष्ठा / छवि धूमिल हो।
22. एक छात्र के रूप में, मैं अपने आप को शैक्षणिक सत्रों से अनुपस्थित नहीं रखूंगा और ऐसे सत्रों के दौरान छात्रावास के कमरे में वापस नहीं रहूंगा, सिवाय इसके कि हमारे चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत सिफारिश की गई बीमारी के मामले में।
23. एक छात्र के रूप में, मैं छात्रावास के मेस के समय, टेबल मैनेर्स का पालन करूंगा और मेस हाल में शालीनता का पालन करूंगा। छात्रावास के निवासी के रूप में, मैं परिसर से बाहर जाते समय, डाइनिंग हाल का उपयोग करते समय छात्रावास के अधिकारियों द्वारा निर्धारित स्वच्छ और सभ्य पोशाक पहनूंगा। मैं किसी भी बहाने से किसी भी खाद्य पदार्थ को कमरों में नहीं ले जाऊंगा।

24. इसके अलावा, मैं छात्रावास में मुझे आवंटित कमरे का उपयोग खाना पकाने/हीटिंग के लिए नहीं करूंगा और मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि स्टोव, गर्म प्लेट और अन्य बिजली के उपकरणों का उपयोग सख्त वर्जित है। इसका उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
25. एक छात्र के रूप में मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि छात्रावास परिसर या विश्वविद्यालय परिसर में धूम्रपान, गुटखा चबाना या नशीली दवाओं या नशीले पदार्थों का उपयोग करना सख्त वर्जित है। यदि मैं शराब/नशीले पदार्थों के प्रभाव में पाया जाता हूँ या शराब की बोतलें, सिगरेट, सिगार तंबाकू, मादक पदार्थ या अन्य समान वस्तुओं के कब्जे में पाया जाता हूँ तो मुझे बिना किसी पूछताछ के छात्रावास से बाहर भेज दिया जा सकता है। मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि यदि किसी कमरे में शराब, नशीला पदार्थ या इसी तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, तो उस कमरे के सभी निवासी संयुक्त रूप से उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होंगे और उन्हें छात्रावास के साथ-साथ संस्थान से भी सरसरी तौर पर निष्कासित कर दिया जाएगा। यदि उपर्युक्त में से कोई भी वस्तु पाई जाती है/जब्त की जाती है, तो मैं अज्ञानता/निर्दोषता की दलील नहीं दूंगा और मैं सहमत हूँ कि मैं उस कमरे के सभी छात्र / छात्राओं को दी जाने वाली सजा से बाध्य होऊंगा। मैं उस कमरे के सभी छात्र / छात्राओं को संयुक्त रूप से दी गई सजा को चुनौती नहीं दूंगा।
- 26- एक छात्र के रूप में, मैं अपने निजी सामान को सुरक्षित रूप से अपनी अभिरक्षा में रखूंगा और मैं अपने किसी भी निजी सामान जिसमें नकदी, मोबाइल, घड़ियां, लैपटॉप आदि शामिल हैं, के नुकसान, चोरी/क्षति के लिए छात्रावास के अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा।
- 27- एक छात्र के रूप में, मैं छात्रावास परिसर के अंदर और बाहर, छात्रावास के कार्यवाहकों के साथ व्यवहार सहित, अत्यधिक अनुशासित और आज्ञाकारी तरीके से अपना आचरण करूंगा, जिसमें विफल रहने पर छात्रावास के नियमों के अनुसार मेरे खिलाफ छात्रावास/विश्वविद्यालय से निष्कासन जैसी उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ।
- 28- एक छात्र के रूप में, मैं किसी भी प्रकार के रैगिंग/चिढ़ाने/शारीरिक/मौखिक रूप से अन्य सह-छात्रों को चोट पहुंचाने में शामिल नहीं होऊंगा। मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि इस तरह की रैगिंग/चिढ़ाने/शारीरिक हिंसा/महिला छात्रों को शब्दों या कार्रवाई से परेशान करने को छात्रावास और विश्वविद्यालय से निष्कासन सहित गंभीरता से लिया जाएगा।
- 29- एक छात्र के रूप में, मैं छात्रावास की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा या खराब नहीं करूंगा। मैं छात्रावास अधिकारियों द्वारा निर्धारित संपत्ति के नुकसान/क्षति की भरपाई के लिए उत्तरदायी रहूंगा। यदि किसी भी कमरे में कोई फिटिंग/फिक्स्चर क्षतिग्रस्त पाया जाता है, तो क्षति की कीमत कमरे के सभी निवासियों से जुर्माने सहित वसूल की जाएगी।
- 30- मुझे इस नियम की जानकारी है कि किसी भी छात्र को अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे कि फटकार, निलंबन, जुर्माना या बर्खास्तगी का सामना करना पड़ रहा है, छात्र ज्ञापन प्राप्त होने की तारीख से पांच (5) कार्य दिवसों के भीतर अपने पिता या माता को लाएगा। यदि मैं अपनी पहल पर अपने पिता या माता को लाने में विफल रहता हूँ, या यदि माता-पिता अधिसूचित तिथि और समय पर वार्डन / प्राक्टर / निदेशक से मिलने नहीं आते हैं, तो प्राक्टर बोर्ड का निर्णय अंतिम और छात्र पर बाध्यकारी होगा।

- 31 एक छात्र के रूप में, मैं अपने साथी निवासियों के व्यवहार की बारीकी से निगरानी करूंगा और यदि कोई बदलाव देखा जाता है तो मैं अधिकारियों को सतर्क करूंगा।
- 32 मैं शैक्षणिक वर्ष की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के पूरा होने पर केवल पांच (5) दिनों की छूट अवधि के साथ छात्रावास खाली कर दूंगा। यदि आवश्यक हुआ तो मैं छात्रावास में अपने प्रवास को जारी रखने के लिए आगामी शैक्षणिक वर्ष में पुनः प्रवेश ले लूंगा।
- 33 एक छात्र के रूप में, मैं अपने छात्रावास के कमरे और परिसर को साफ रखूंगा। साथ ही, मैं अपने साथी निवासियों की निजता का सम्मान करूंगा।
- 34 एक छात्र के रूप में, भोजन, पानी और बिजली जैसे राष्ट्रीय संसाधनों को बचाने की मेरी प्रमुख जिम्मेदारी है।

संयुक्त घोषणा

(केवल पिता या माता के हस्ताक्षर के लिए। यदि माता-पिता दोनों जीवित नहीं हैं तो अभिभावक हस्ताक्षर कर सकते हैं)

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि, हम, अभिभावक और बच्चे ने छात्रावास के नियमों और विनियमों को ध्यान से पढ़ा है जो विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित हैं और जैसा कि वेबसाइट <https://www-uitrgpv.ac.in> पर दिया गया है। हम पूरी तरह से समझते और सहमत हैं कि यदि मेरा बेटा/बेटी छात्रावास के अनुशासन के नियमों का पालन करने में विफल रहता है, तो वह छात्रावास से निष्कासन सहित उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। हम एतद्वारा व्यक्तिगत वचन देते हैं कि हम अनुशासन के मामले में छात्रावास के अधिकारियों के निर्णय में हस्तक्षेप या चुनौती नहीं देंगे।

छात्र के हस्ताक्षर:

छात्र का नाम:

कक्षा:

नामांकन संख्या

दिनांक:

पिता/माता के हस्ताक्षर:

पिता/माता का नाम:

पिता का मोबाइल नंबर:

नोटरी पब्लिक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

मुहर के साथ नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर